

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 सितम्बर, 2002

(द्वितीय बैठक)

खण्ड-2, अंक-3

अधिकृत विवरण

विशत सूची

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2002

(द्वितीय बैठक)

पृष्ठ संख्या

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव –	(3)1
पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर	(3)1
के निर्माण में देरी के सम्बन्ध में	(3)1
वक्तव्य –	
मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	(3)1
अफगानिस्तान के शिष्टमण्डल का अभिनन्दन	
वक्तव्य –	(3)14
मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(3)15
वैयक्तिक स्पष्टीकरण –	(3)16
श्री बंसी लाल, एम.एल.ए. द्वारा	(3)16

वक्तव्य –	
मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी (पुनरारम्भ)	(3)16
बिलज –	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन नं. (3) बिल, 2002	(3)21
(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन नं. (4) बिल, 2002	(3)24
(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकण्ड अमैण्डमेंट) बिल, 2002	(3)25
(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकण्ड अमैण्डमेंट) बिल, 2002	(3)26
(v) दि हरियाणा मुर्दा बफैलो एंड मिल्क ऐनीमल ब्रीड (प्रिजर्वेशन एंड डिवल्पमेंट ऑफ ऐनीमल हस्बैंडरी एंड डेयरी डिवल्पमेंट सैक्टर) अमैण्डमेंट बिल, 2002	(3)28

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2002

(द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पंजाब क्षेत्र में सतलुज यमुना योजक नहर के निर्माण में देरी के सम्बन्ध में।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of adjournment from Sh. Bhupinder Singh Hooda and five other MLAs regarding construction of SYL Canal. The notice does not meet the requirements as mentioned in Rule 68 of our Assembly Rules and the same cannot be admitted as such. However, keeping in view the importance of the matter the same has been converted and admitted as calling attention motion. Sh. Bhupinder Singh Hooda may read his notice.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान पंजाब क्षेत्र में एस.वाई.एल. लिंक नहर के निर्माण में देरी संबंधी एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना

चाहता हूँ। मैंने कहा है कि सतलुज यमुना जोड़ नहर के निर्माण संबंधी विशय हरियाणा के लोगों की जीवन रेखा है।

मैंने आगे उल्लेख किया है कि पंजाब सरकार द्वारा 15 जनवरी, 2003 से पहले सतलुज यमुना जोड़ नहर के निर्माण के महत्व को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये कोई प्रगति नहीं हुई है, इस विशय पर तुरन्त चर्चा आवश्यक है।

वक्तव्य

मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा): अध्यक्ष महोदय, पंजाब के क्षेत्र में सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण कार्य को पूरा करने के महत्व को देखते हुए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में केस की पैरवी की और सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष को सराहते हुए इसके अनुरोध को स्वीकार किया और पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के पंजाब प्रभाग को निर्णय तिथि 15.1.2002 से एक वर्ष के अन्दर पूरा करे व इसे चालू करे। माननीय न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 2-भारत सरकार को भी निर्देश दिए कि वह उपरोक्त फैसले को लागू करने में अपनी सवैधानिक दायित्व का पालन करे। भारत सरकार को यह भी निर्देश दिये गए कि यदि पंजाब द्वारा सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा नहीं किया जाता तो भारत सरकार अपनी संस्थाओं के माध्यम से इसे

यथाशीघ्र पूरा करवाए। पंजाब राज्य ने इस फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6.3.2002 को रद्द कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के पश्चात सरकार ने भरपूर प्रयत्न किए कि इस निर्णय को लागू करवाया जाए। माननीय सदन में 14.3.2002 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पंजाब राज्य को जोर देकर कहा गया कि वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करे। सदन द्वारा पारित फैसले की प्रतियां भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, जल संसाधन मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा अपने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 27.3.2002 द्वारा भेजी गयीं। इसके उत्तर में भारत के जल संसाधन मंत्री महोदय ने अपने पत्र दिनांक 2.5.2002 द्वारा सूचित किया कि उनके मंत्रालय ने यह मामला पंजाब सरकार के साथ पहले ही उठाया हुआ है। जल संसाधन मंत्री महोदय ने 25.7.2002 को सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर तथा कुछ और मुद्दों पर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की एक बैठक का आयोजन किया। हरियाणा ने बैठक में भाग लिया और अनुरोध किया कि पंजाब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन करे। इस विषय पर मुख्यमंत्री, हरियाणा ने जल संसाधन मंत्री जी को अपने अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 25.7.2002 द्वारा पुनः लिखा। 30.7.2002 को मुख्यमंत्री, हरियाणा भारत के प्रधानमंत्री महोदय से मिले और सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर को पूरा करवाने

के सर्वोच्च न्याया के निर्णय को लागू करवाने पर जो दिया। 14.8. 2002 को सरकार ने हरियाणा के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (सांसदों एवं विधायकों) की एक बैठक का आयोजन किये और उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव पंजाब के माननीय राज्यपाल महोदय को दिया गया। मुख्यमंत्री, हरियाणा ने 22.8.2002 को एक अर्ध सरकारी पत्र भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा दूसरा पत्र जल संसाधन मंत्री महोदय को विस्तृत विवरण सहित भेजा कि वे सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर को पूर्ण करवाने के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए फैसले पर अमल कराने के लिए पंजाब को राजी करवायें। यह भी कहा गया कि अगर पंजाब एक वर्ष की समय सीमा में नहर को पूरा नहीं करता तो भारत सरकार इस कार्य को करवाने के लिए विकल्प में अपनी संस्थाओं का चयन करे जिसको पंजाब प्रभाग की सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के निर्माण व पूर्ण करने का कार्य सौंपा जाए यदि पंजाब राज्य इन निर्देशों का एक साल के भीतर पालन करने में असमर्थ रहता है। इस मामले की पैरवी सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ सक्रियता से की जा रही है। सरकार ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाएगी जिन्हें राज्य के सर्वोच्च हित में उचित समझा जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल हरियाणा की जीवन रेखा है। मुख्यमंत्री जी ने सवेरे इस पर चर्चा भी की। एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट

ने हरियाणा के हित में फैसला भी दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देने से एक महीना पहले एक मौका दिया था कि हरियाणा और पंजाब सरकारें आपस में बातचीत करके इसका निपटारा करें। उस समय पंजाब में श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे उस समय इनकी उनसे क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, ये हमें नहीं मालूम। उसके बाद पूरे हाउस ने इनको अधिकृत किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सड़ बात में, चूंकि हरियाणा की जीवन रेखासे जुड़ा हुआ मुद्दा है इसलिए इस पर हम आपका साथ देंगे। उसके बाद केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री ने मीटिंग बुलाई जैसा कि इन्होंने अपने जवाब में कहा है और वहां पर पता लगा कि ये इस बारे में कितने सीरियस हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के हित का पक्ष रखने के लिए स्वयं वहां गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भी स्वयं गये थे लेकिन हरियाणा से चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी गए थे जिनकी कलैक्टिव रिसपॉसिबिलिटी भी नहीं है। वे कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं हैं क्योंकि इनको राज्यपाल महोदय ने ओथ नहीं दिलाई। कितनी सीरियसनैस इन्होंने इस मुद्दे पर दिखाई है यह इनको पता होगा। उसके बाद सर्वदलीयर मीटिंग की उसमें भी हम सबने मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया। आज तक इन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत की है, ये बताएं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार राजीव लॉंगोवाल समझौता है मैं मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कई दफा पूछ चुका हूं। प्रैस के माध्यम से भी पूछ चुका हूं और आज अध्यक्ष महोदय,

आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस फैसले का जो आधार है राजीव लॉगोवाल समझौता क्या आप उसके हक में हैं या विरोध में हैं, इसके बारे में हां या ना में जवाब दें क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज तक जो हरियाणा का अहित हुआ है उसका केवल मात्र एक कारण है चौ. देवीलाल और चौ. ओम प्रकाश चौटाला ने उस समझौते का विरोध किया उसकी वजह से विलंब हुआ है नहीं तो हरियाणा के हक का पानी उसे कभी का मिल जाता। मैं आज भी इनको यह आश्वासन देता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एस.वाई.एल. कैनल कापानी लाने के लिए ये जो भी फैसला लेंगे उसमें हम इनके बिल्कुल साथ रहेंगे। मैंने एक दो दफा इनके बयान भी पढ़े हैं इन्होंने कहा है कि हम खुद जाकर कस्सी लगाएंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी उस समय इनके साथ रहेंगे। मेरे को मालूम है कि आप जवाब में कहेंगे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री हैं। (विघ्न) मुझे पता है मैंने कई बार इनके ऐसे बयान पढ़े हैं अखबारों में बयान आ चुके हैं। मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजीव लॉगोवाल समझौते से पूरी कांग्रेस पार्टी सहमत है चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं या हरियाणा के नेता हैं उन सबको मानकर उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इसके बारे में सोनिया गांधी जी से बात करनी होगी। ये चलें हम इनके साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए और पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए हम

सब तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे को हल करने के लिए जैसे पहले विलम्ब हुआ है वैसा विलम्ब नहीं होगा। हम सब को एक होकर इस मुद्दे को हल करने की कोशिश करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे सदन को यह बतायें की वे राजीव-लौंगोंवाल समझौते के हक में हैं या विरोध में?

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी आप अपना सवाल पूछें जवाब इकट्ठा आ जाएगा।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह रहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हुड्डा साहब ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब साथ-साथ दे देते। उसके बाद जो भी मैम्बर सवाल करें उसका साथ-साथ जवाब दें।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, जिन छः सदस्यों ने बोलना है वे अपनी बात कह लें उसके बाद सबकी बातों का इक्ठ्ठा जवाब दे दिया जायेगा।

चौ. भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, एक-एक मैम्बर का जवाब साथ-साथ आ जाये तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: सभी मैम्बर्ज का जवाब ज्वाइंटली ही दे देंगे।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, विधानसभा में हर सवाल का जवाब आना चाहिये आप विधान सभा की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के सूत आती है वह बात तो आप मान लेते हैं और हमारी बात आप मानते नहीं हैं। अच्छा यही रहेगा कि जो हुड्डा साहब ने बात कही है उसका जवाब दे दें उसके बाद मैं अपनी जो बात कहूंगा ये उसका जवाब दें। जो सदन की प्रथा है उसका बरकरार रखना चाहिये। पहले जवाब दें (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप अपना सवाल पूछिये। जवाब इकट्ठा ही आ जायेगा।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, आप इसमें अपनी असमर्थता जता रहे हैं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले मुख्यमंत्री जी जवाब दें तो उसके बाद मैं अपनी बात पूछूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, सुबह कुछ और पैमाना था और अब कुछ और पैमाना है।

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देना ही चाहिये।

श्री अध्यक्ष: धर्मबीर जी आप बैठ जाइये, आप पार्टी के अध्यक्ष नहीं है।

चौ. जयप्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को जवाब तो देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आपके दस्तखत नहीं हैं।

चौ. जयप्रकाश: अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य इकट्ठा बोल लें उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे। कल कालिंग अटेंशन मोशन आया था तो विपक्ष ने खुद कहा था कि सभी को बोलने दें उसके बाद इकट्ठा जवाब दे दें तो ठीक रहेगा। आराम से सारे सदस्य अपना सवाल पूछ लें उसके बाद जवाब दे दिया जायेगा।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, कालिंग एटेंशन मोशन में यह एक स्पैसिफिक आर्डर है कि एक प्रश्न के बाद ही उसका जवाब आना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष: अगर कोई कमजोर आदमी है तो उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। बतरा साहब, कुछ कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, स्पैसीफिक प्रश्न का स्पैसीफिक जवाब आना चाहिए।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसके पास जवाब नहीं है, ये जवाब दे नहीं सकते और अगर इनके पास जवाब नहीं है तो हम दूसरा सवाल पूछेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: हम आपके सवाल नोट कर रहे हैं, इकट्ठा जवाब देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: सम्पत सिंह जी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि इकट्ठा जवाब दिया गया हो।

प्रो. सम्पत सिंह: आपने ही करवाया है, कल भी करवाया है और आज भी करवाया है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले इनसे जवाब दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आपको मिलेगा।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, अगर ये नहीं बोलना चाहते तो मुख्यमंत्री जी जवाब दें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनके पास जवाब है नहीं इसलिए हम दूसरा सवाल पूछते हैं। एस.वाई.एल. का मामला बहुत ही गम्भीर मामला है। यह कोई साल 6 महीने का मामला

नहीं है। साल या दो साल का मामला या 5-4 साल का मामला नहीं है। इतने सालों से बड़े लड़ झगड़कर इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ लगाया है। यह केस भी हमारे वक्त में, कांग्रेस के राज में सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। इस नहर को लाने के लिए राजीव-लॉंगोवास को जो फैसला हुआ वह भी कांग्रेस के वक्त में हुआ। इसके पास अब कोई जवाब नहीं नहीं है। मैंने इनसे पूछा था कि गन्ना किसके वक्त में खेतों में जलाया गया था तो इनके पास जवाब नहीं था।

श्री अध्यक्ष: आप गन्ने के बारे में या लॉ एंड आर्डर के बारे में न बोलें, आप एस.वाई.एल. कौनाल के बारे में सप्लीमेंटरी पूछें।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आज सुबह की ही बात है। पिछले सेशन में मैंने कहा था कि एक साल में यानी 15 जनवरी तक नहर बनवाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में केस डालें ताकि वे पंजाब गवर्नमेंट को डायरैक्शन दें कि 15 दिन या एक महीने में इस नहर का काम शुरू हो लेकिन उस बात को ये लोग टाल गए क्योंकि पंजाब में बादल की सरकार थी। बादल जो इनके पगड़ी बदल भाई हैं, उनके खिलाफ ये कुछ करना नहीं चाहते थे इसलिए ये इस बात को टाल गए। जब तक पंजाब में बादल की सरकार थी तब तक इन्होंने नहर का नाम लिया क्योंकि पंजाब के साथ इनका मिला जुला मामला है।

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी, आप भाषण दे रहे हैं या सप्लीमेंटरी पूछ रहे हैं।

चौ. भजनलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण भी दूंगा और इनसे सप्लीमेंटरी भी पूछूंगा। अध्यक्ष महोदय, हम आपको स्पीकर साहब कहते हैं, तू या मैं नहीं कहते। हम यहां ठीक बात कहते हैं आप उसको सुनने की कोशिश कीजिए और उसका जवाब दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अब ये कहते हैं कि किसी तरह से नहर बननी चाहिए। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है और सैंअर में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता भी सोनिया गांधी है इसलिए इस नहर के बारे में सोनिया गांधी जी से बात करो। हमने कहा कि हम सोनिया गांधी जी से बात करेंगे, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं क्योंकि यह हरियाणा की जिन्दगी और मौत का सवाल है। यह पानी का मामला है। ये नहर को बनवाने की बात करते हैं लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट पंजाब को डायरेक्शन नहीं देगी तब तक नहर खोदने का काम शुरू करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। इसके लिए इन्होंने अब तक क्या कार्यवाही की है और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, हमने एक 'काम रोको प्रस्ताव' दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: कोई बात रिकार्ड न की जाए। भजन लाल जी, आप बैठे-बैठे न बोलें। (शोर एवं व्यवधान) No sitting commentary please.

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, हमने एस.वाई. एल. कौनाल के मुद्दे पर जो कि हरियाणा की जनता की लाईफ लाईन है, एक एडजर्नमेंट मोशन दिया था। यदि उस एडजर्नमेंट मोशन पर 3-4 घंटे डिस्कशन होती तो सभी माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त करते और अच्छे सुझाव भी देते। एस.वाई.एल. कौनाल के मुद्दे के बारे में सभी पार्टियों की एक मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें सिलैक्टड आदमी बुलाये गये थे। स्पीकर सर, आज बहुत ही अच्छा मौका था कि आपकी उपस्थिति में आपके माध्यम से इस मुद्दे पर डिस्कशन होती और सभी सदस्य सुझाव देते लेकिन आपने एडजर्नमेंट मोशन को नहीं माना और उसे कालिंग अटेंशन मोशन के साथ जोड़ दिया। स्पीकर सर, इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहूंगा कि ईराडी ट्रिब्यूनल के एक जज ने इस्तीफा दे दिया था और वह पोस्ट अब तक भी खाली पड़ी है। जब तक यह पोस्ट भरी नहीं जायेगी तब तक ईराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट नहीं आयेगी और न ही वाटर एलोकेशन का मामला सुलझेगा। इसलिए स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस खाली पोस्ट को फिलअप करवाने बारे सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? क्या कोई पत्र व्यवहार किया है या इस बारे में कोई मीटिंग की है? पिछले 8 साल से यह पोस्ट खाली पड़ी है। इसकी फाईल पी.एम. आफिस में पड़ी हुई है।

स्पीकर सर, दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि वाअर एक नैच्यूरल रिसोर्सिज है And the Arts and Science of every Administration is the Equal and equitable distribution of natural resources among the people, among the residents of the State. नहर तो जब पूरी होगी तब होगी लेकिन जो पानी मिल रहा है उसका भी बराबर बंटवारा होना चाहिए। आज हमारे 8 जिलों का पानी जो दक्षिणी हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं, जो जिलों को डाईवर्ट किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh: This is all irrelevant.

श्री अध्यक्ष: आप रैलेवेंट प्रश्न पूछें। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप जिक्र न करें। यदि आपने नहर की कन्स्ट्रक्शन के बारे में प्रश्न पूछना है तो पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, यह बड़ा ही अहम मुद्दा है। दक्षिणी हरियाणा के आठ जिलों का पानी दो जिलों में हाईवर्ट हो रहा है। स्पीकर सर, चाहे भाखड़ा सिस्टम का पानी हो, चाहे एस.वाई.एल. सिस्टम का पानी हो इस बारे में Statistics बताती हैं कि टोटल वाटर का 52 प्रतिशत पानी दो जिलों में जा रहा है और यह पानी दक्षिणी हरियाणा के हिस्से का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आपका प्रश्न रैलेवेंट नहीं है। प्लीज आप रैलेवेंट प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, डाक्टर साहल रैलेवेंट प्रश्न नहीं कर रहे इसलिए इन्होंने इररैलेवेंट जो कुछ भी कहा वह हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप नहर की कन्स्ट्रक्शन के बारे में प्रश्न पूछें। डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो नहर बनने के बाद होगी। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, पहले भी मैंने विधान सभा में सुझाव दिया था कि 90 के 90 सदस्य इक्ठ्ठा होकर राष्ट्रपति जी से मिलें और प्रधान मंत्री जी से मिलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, प्लीज आप रैलेवेंट प्रश्न पूछें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, सबको इक्ठ्ठा होकर प्रधान मंत्री जी से मिलना चाहिए, पता लग जायेगा कि भाजपा की सरकार नहर बनवाना चाहती है या नहीं। चौटाला साहब ने भी सैंटर में भाजपा को समर्थन दे रखा है। यदि वे नहीं बनवाना चाहते हैं तो चौटाला साहब अपना समर्थन वापिस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, सिकी के कहने से कोई समर्थन लेता—देता नहीं है। प्लीज, आप रैलेवेंट बात करें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, यह मामला हरियाणा के हितों का है। हरियाणा के लिए यह लाईफ-लाईन का मामला है। यहां के लोग रोजी-रोटी के लिए मोहताल हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठिये। आपकी बात खत्म हो गई। अब बत्तरा जी बोलेंगे। आप तो डाकअर रहे हैं। आपने कुछ नहीं पूछा। आप तो बड़े ज्ञानी-ध्यानी हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब आप बैठ जायें।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, ****

श्री अध्यक्ष: डा. साहब की कोई बात रिकार्ड नहीं की जाये।

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, हम सदन में बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कानून बनते हैं वहीं पर मैम्बरों को बोलने नहीं दिया जा रहा। हमने एडजर्नमेंट मोशन दी थी, उसको आपने काल अटैशन मोशन में कवर्ट कर दिया। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप पहले मेरी बात सुनिये। मैं इस बारे में ही रूलिंग दे चुका हूं। आपने एडजर्नमेंट मोशन दिया, इसमें कोई शंक नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह अर्जेंट नेचर का इशू नहीं था। यह इशू तो बहुत लम्बे समय से चल रहा है इसलिए इसको काल अटैशन मोशनमें कन्वर्ट कर दिया है। यह कोई ऐसा इशू नहीं कि जो कल घटा हो या 10 दिन पहले घटा

हो। यह इशू कोई 5 साल या 10 साल का भी नहीं है। यह बहुत पुराना इशू है इसलिए इतने लम्बे इशू पर एडजर्नमेंट मोशन नहीं हुआ करता, शायद इस बारे में आपको ज्ञान न हो। लम्बा इशू होने के कारण इसे एडजर्नमेंट मोशन की बजाय काल अटैशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया गया है।

श्री शादी लाल बत्तरा: अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार यह कहते हैं कि ज्ञान नहीं, यह आपकी तरफ से कहना ठीक नहीं है। आप हमारी बात सुनने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: आप एस.वाई.एल. नहर की कन्सट्रक्शन के बारे में बोलें, उसको सुनेंगे।

श्री शादी लाल बत्तरा: स्पीकर साहब, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने हमारे उस प्रस्ताव को काल अटैशन मोशन में कन्वर्ट कर दिया। काल अटैशन मोशन में सवाल पूछे जाएंगे और फिर उसका जवाब मंत्री जी से आयेगा। (शोर एवं विघ्न) इस इश्यु पर आपने सदन के नेता को जवाब देने के लिए नहीं कहा। जब हम कुछ कह नहीं पाएंगे तो फिर सप्लीमेंटरी कहां से पूछी जायेगी?

श्री अध्यक्ष: इस इश्यु पर सभी ने पूछा है। हुड्डा साहब का अलग से है, चौ. भजन लाल जी का अलग है, कादियान साहब का तो पता नहीं क्या था (विघ्न)

श्री शादी लाल बत्तरा: स्पीकर साहब, आप हमारी बात पूरी तरह से सुनें और हम सभी को सप्लीमेंटरी अच्छी तरह से पूछने दें। जब हम सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो फिर ये जवाब क्या देंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पूछें। आप क्या पूछना चाहते हैं, वह पूछें।

श्री शादी लाल बत्तरा: पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब आया नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाब आता नहीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: क्या आपके मन में कोई अलग बात है?

श्री शादी लाल बत्तरा: अलग बात क्या है?

श्री अध्यक्ष: वैसे सवाल तो एक ही है, इसलिए एक साथ ही जवाब की बात होगी।

श्री शादी लाल बत्तरा: एस.वाई.एल. कैनाल का शोर जब हम छोटे होते थे, तब से सुन रहे हैं। जब हम कोई सप्लीमेंटरी पूछते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता। हम यहां पर सदन में आए हैं। हमारा इस बारे में जानने का पूरा अधिकार है कि इस बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: बत्तरा जी, आप सवाल पूछें।

श्री शादी लाल बत्तारा: सदन के हर मैम्बर को जानने का अधिकार है कि आज तक हमारे साथ क्या हुआ। हमारे पास इस संबंध में जो भी सूचना है वह सिर्फ पेपरों के माध्यम से ही है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर आया हुआ है कि एस.वाई.एल. नहर एक साल में बन कर तैयार हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद सरकार ने कन्स्ट्रक्शन के लिए क्या उपाय किए और आगे क्या कार्यवाही की जा रही है, हमें उन सब बातों को जानने का अधिकार है? हमने इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस संबंध में एडजर्नमेंट मोशन दिया था लेकिन हमें आज तक यह नहीं बताया गया कि सरकार की ओर से केन्द्र सरकार से क्या बात हुई? एस.वाई.एल. नहर की कन्स्ट्रक्शन का मुद्दा कहां पर खड़ा है और इस नहर के बनने की कब तक उम्मीद है? क्या यह नहर साल समाप्त होने के बाद शुरू होगी? अगर साल खत्म होने के बाद शुरू होगी तो फिर नहर की खुदाई कब होगी और यह नहर कब पूरी होगी? यह हरियाणा प्रदेश के लिए लाईफ लाईन का सवाल है। सरकार इस लाईफ लाईन के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही इसलिए हमने यह एडजर्नमेंट मोशन दिया था। हमारे सदन के नेता यदि हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो हम सप्लीमेंटरी के माध्यम से जो हमारे मन में शंकाएं होंगी वह क्वेश्चन के माध्यम से हम पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात खत्म हो गई।

श्री शादी लाल बत्तारा: बात खत्म हो गई?

श्री जितेन्द्र सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं कि जनवरी, 2003 तक एस.वाई.एल. नहर का पानी हरियाणा में आना चाहिए। इस चीज का मैं भी स्वागत करता हूँ लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या इसके लिए सरकार ने कोई प्लान बनाया है? यह ठीक बात लें कि आप मतभेद हैं लेकिन अगले साल पानी हरियाणा में आ सकता है। वहां का पानी जब हरियाणा में आएगा तो उस पानी को नहरों में सही प्रकार से चलाने के लिए क्या नहरों की सफाई करवाने तथा उनकी गाद निकलवाने के लिए सरकार ने कोई प्लान तैयार किया है? यदि प्लान तैयार किया है तो उसमें कितनी राशि गई है, उस पर हरियाणा सरकार का कितना खर्च होगा? इस विषय पर ऐडजर्नमेंट मोशन भी आया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस बारे में सरकार की क्या प्लान है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, एक विशेष मुद्दा आज इस सदन में विचाराधीन है। विपक्ष के नेता भूपेन्द्र सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि सरकार इसके बारे में सीरियस नहीं है तथा राजीव-लौगोवाल समझौते के बारे में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस समझौते को सरकार मानती है या नहीं मानती है। अध्यक्ष महोदय, मैं पुरानी बैकग्राउंड में न जाकर इस सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। सारे विपक्षी दलों की एक मीटिंग इस अहम मुद्दे की अहमियत के दुश्चिह्न बुलाई गई

थी। उस मीटिंग में इस विशय पर खुलकर चर्चा हुई थी तथा यह बात आई थी कि इस बारे में क्या कदम उठाए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है कि 15 जनवरी, 2003 तक पंजाब सरकार को यह नहर बनवानी पड़ेगी। यदि 14 जनवरी, 2003 तक पंजाब सरकार इस नहर को नहीं बनवाती तो फिर केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सिकी एजेंसी से इस नहर को बनवाए। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए वह भी बात दूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी मन बना लिया है कि सारे देश के दरियाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए और जरूरत के मुताबिक जिस प्रदेश को जितना पानी चाहिए वह बांट दिया जाए। हमारे फैसले को भी इससे बहुत बल मिलता है। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने खासतौर पर हमारी जो सर्वदलीय मीटिंग थी, उस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद 27 अगस्त को पानीपत में जाकर के एक स्टेटमेंट दी कि सरकार सम्पर्क नहर के प्रति गम्भीर नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला सम्पर्क नहर के प्रति गम्भीर नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि चौ. देवी लाल और ओम प्रकाश चौटाला ने राजीव-लौंगोवाल समझौते का विरोध नहीं किया होता तो कब से रावी-ब्यास का पानी हरियाणा की प्यासी धरती को मिल गया होता। एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए आदमी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ये अभी भी इस बात को दोहरा रहे हैं और पहले भी दोहराते रहे हैं। अब भी कहते हैं कि दोहरा रहा हूँ, लेकिन इनको यह ज्ञान नहीं है कि

राजीव-लौंगावास समझौता क्या है? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि राजीव-लौंगोवाल समझौता क्या था। इस समझौते की 10 क्लोजिज हैं जिनमें बाकी के मुद्दे हरियाणा से जुड़े हुए नहीं हैं। हरचन्द सिंह लौंगावास अकाली दल के अध्यक्ष थे और श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधान मंत्री थे उनके बीच समझौता हुआ था। उस समझौते में कई किस्म की और बातें थी जो अकाली दल ओर केन्द्र की सरकार से जुड़ी हुई थी लेकिन दो मुद्दे क्लोज नं. 7 हरियाणा से जुड़े हुए थे। उसमें लिखा है कि चण्डीगढ़ का राजधानी परियोजना क्षेत्र पंजाब को दिया जाएगा। कुछ निकटवर्ती क्षेत्र जो पहले हिन्दी और पंजाबी क्षेत्रों के हिस्से में थे, उन्हें संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। पंजाब राज्य के जो क्षेत्र संघ राज्य के क्षेत्र में मिलाए थे, राजधानी क्षेत्र में दिए जाने के परिणाम स्वरूप वे पंजाब को दिये जाएंगे। जो हरियाणा के हिन्दी क्षेत्र थे वे हरियाणा को दिये जाएंगे। सुखना झील का पूरा क्षेत्र चण्डीगढ़ का हिस्सा रहेगा और इस तरह यह पंजाब को जाएगा। श्रीमति इन्दिरा गांधी की सदा यह धारणा रही थी कि जब चण्डीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो पंजाब के हिन्दी भाशी क्षेत्र हरियाणा को मिलेंगे। बदले में पंजाब के कोर से निर्दिष्ट हिन्दी भाशी हरियाणा को दिए जाने चाहिए इसको निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा ऐसे निश्चय के लिए साहित्य एवं भाशाई सम्बन्धों के सिद्धान्त के रूप में साथ लगते गांवों को इकाई माना जाएगा। आयोग 31 दिसम्बर, 1985 तक

अपनी रिपोर्ट दे देगा जिसे दोनों पक्षों को मानना अनिवार्य होगा। आयोग का काम इसी पहलू तक सीमित होगा और सीमा सम्बन्धी मामला गांवों से अलग होगा। जिस पर पैरा 74 में निर्दिष्ट एक अन्य आयोग विचार करेगा।

पैरा 73—इसमें पंजाब को चण्डीगढ़ और उकसे बदले में हरियाणा को दिए जाने वाले क्षेत्रों का वास्तविक हस्तांतरण साथ-साथ 26 जनवरी, 1986 को होगा।

अगर चौ. देवीलाल इसके लिए आन्दोलन न करते तो 26 जनवरी, 1986 को चण्डीगढ़ पंजाब को चला गया होता। सब कुछ तैयार हो लिया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। यह सब कुछ तक हो गया था। यहां पर सिर्फ झंडा लहराने तक का मामला था। जब यह समझौता हुआ तो चौ. साहब आप ****। (शोर एवं व्यवधान) यह बदकिस्मती हमारे प्रदेश की थी कि उस वक्त भजन लाल इस प्रदेश का मुख्यमंत्री था। जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। (शोर एवं व्यवधान) राजीव गांधी लौंगोवाल समझौता, राजीव गांधी के दफतर में हो, हरियाणा का उससे हित जुड़ा हुआ हो और **** बाहर बैठा रहे। (शोर-शोर)

चौ. भजनलाल: स्पीकर सर, यह जो शब्द का इस्तेमाल किया है हम इसका विरोध करते हैं। यह निन्दनीय बात है। आप इसको कार्यवाही से निकलवाएं। मुख्यमंत्री के रूप में मैंने फैसला करवाया था। यह जो इन्होंने बोला है यह क्या पार्लियामेंटरी शब्द

है? मुख्यमंत्री के रूप में ये सदन में इस तरह की भाशा का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ये शब्द कार्यवाही से निकलवाए जाएं। इनको इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट बैठ जाएं। इन्होंने नहीं कहा है। **** (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी बात नहीं सुनेंगे। ये गलत बात बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने जो बोला है क्या वह पार्लियामेंटरी शब्द है? यह अनपार्लियामेंट शब्द है। आप इस शब्द को कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए हुड्डा साहब, आप एक मिनट बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इनको बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठेंगे तो ही तो मैं कुछ बताऊंगा। मैं आपकी पूरी तसल्ली करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं ऐन जंचा कर आपकी तसल्ली करवाऊंगा। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पुनः दोहरा रहा हूँ कि हरियाणा के हितों की रक्षा के लिए कोई समझौता हो और एक दल विशेष का नेता प्रधान मंत्री के साथ बैठकर उस समय के प्रधानमंत्री के दफतर में बैठकर बात करे और **** बाहर बैठा रहे। यह बद-किस्मती इस प्रदेश की है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इससे **** आदमी कोई हो नहीं सकता। इससे **** का इस्तेमाल कोई कर नहीं सकता, जिस तरह की भाशा का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता है। आप इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री अध्यक्ष: हुड्डा जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं। उनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान) भजन लाल जी, आप अपने साथियों को बिठाएं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्वायंट आफ आर्डर पर बोलने का मौका दें।

श्री अध्यक्ष: आप अपने साथियों को बिठाएं तभी तो आप बोल सकेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठें। चौ. भजन लाल जी प्वायंट आफ आर्डर पर बोलना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

व्यवधान) अब केवल चौ. भजनलाल ही प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलेंगे बाकी सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, **** में आज ही इस्तीफा देता हूँ ये अब भी चुनाव में आ जाएं। जहां से ये कहेंगे मैं वहां से ही चुनाव लड़ूंगा। ये क्या बात करते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, इस सदन की गरीमा रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए आप सदन के नेता को कहें कि वे अपने कहे हुए शब्द वापस लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सारे अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, कभी भी मुख्यमंत्री जी सही जवाब नहीं देते हैं। यह हमेशा व्यक्तिगत छींटाकशी करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब इनमें से किसी की भी बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री जय प्रकाश बरवाला: अध्यक्ष महोदय, ****

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनकी किसी की भी बात रिकार्ड न करें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, क्या मेरी बात भी रिकार्ड नहीं की जाएगी?

श्री अध्यक्ष: आपकी बात रिकार्ड की जाएगी लेकिन आपकी पार्टी के एम.एल.एज. की बात रिकार्ड नहीं की जाएगी क्योंकि वे सब बिना चेयर की परमिशन के बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि भजन लाल उस समय चपड़ासी की तरह बाहर बैठा रहा। मैं इनको बताना चाहता हं कि उस समय राजीव जी ने पहले मेरे से सारी बातों की सलाह करके ही लौंगोवास से बात की थी। बाद में जब मैं दूसरे कमरे में बैठा था तो राजीव जी ने लौंगोवास को बुलाया और फिर मुझे बुलाया था। ये कहते हैं कि उस समय 26 जनवरी को देवीलाल की वजह से चण्डीगढ़ पंजाब को जाने से रूका। अध्यक्ष महोदय, सारे देश के अखबारों को पता है, सारे देश को पता है कि मैंने उस समय एक ही बात कही थी कि अगर चण्डीगढ़ में पंजाब का मुख्यमंत्री बरनाला एक झंडा लहराएगा तो भजन लाल दो झंडे लहराएगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय

कहा था कि चण्डीगढ़ पंजाब को तब जाएगा जब अबोहर फाजिल्का हमको मिलेंगे। चण्डीगढ़ पंजाब को जाने से मैंने रूकवाया। यह इनको रूकवाया हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष: भजनलाल जी, अगर इस समझौते का नाम राजीव-लौंगोवाल-भजनलाल भी हो जाता तो क्या नुकसान था? इससे हरियाणा का बेस तो हो जाता।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने हरियाणा के हितों का नुकसान नहीं होने दिया और न ही हेने देंगे। ये क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को मर्यादा में बात करनी चाहिए ये कहते हैं कि **** बैठा रहा। लेकिन ****

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्या वह कार्यवाही से निकाल दिया गया है या नहीं? आप हमें बताएं कि वह कार्यवाही का एक हिस्सा है या नहीं। मुख्यमंत्री जी ने **** के विषय में जो कहा है क्या वह पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है?

श्री अध्यक्ष: पहले आप यह बताएं कि आप किसी की परमिशन से खड़े हैं?

राव इन्द्रजीत सिंह: मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। भजनलाल जी ने प्वायंट आफ ऑर्डर किया था और उन्होंने अपनी बात कह दी है इसलिए आप बैठें।

राव इन्द्रजीत सिंह: स्पीकर सर, **** (शोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सन् 1947 में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था। 1948 में मेरठ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था। सरदार बल्लभ भाई पटेल उस वक्त इस देश के होम मिनिस्टर थे उसी दौरान में उत्तर प्रदेश में कई जगह दंगे हुए थे। सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अपने भाषण में कहा था कि भारत और पाकिस्तान का दो भाईयों की तरह बंटवारा हो चुका है जो पाकिस्तान में जाना चाहते थे वह चले गए ओर जो हिन्दुस्तान में रहना चाहते थे वे रह रहे हैं लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर रहकर के अगर कोई पाकिस्तान जिन्दाबाद का नारा लगाएगा तो सरकार उसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी अगर वे पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं तो वे इस देश को छोड़कर चले जाएं। अरूणा आसफ अली भी उस वक्त मंच पर मौजूद थीं और उन्होंने खड़े होकर कहा कि

सरदार बल्लभ भाई पटेल को अपने लफज वापस लेने चाहिए क्योंकि इनसे एक समुदाय को बहुत पीड़ा हुई है। सरदार बल्लभ भाई पटेल दोबारा खड़े हुए और कहा कि मैं अपने लफज वापस लेने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ बल्कि उनके ऊपर जोर देते हुए कह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है जो पाकिस्तान जाना चाहते थे चले गए, हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दुस्तान के नागरिक बनकर के रहें। अगर भारत वर्ष में पाकिस्तान जिन्दाबदा का नारा लगाएंगे तो न सिर्फ उन्हें निकाला जाएगा बल्कि तोप के आगे खड़ा करके उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात को कहता हूँ कि एक अध्यक्ष और एक देश के प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हो रहा था और ****

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी की कोई बात रिकार्ड न की जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अगर ऐसा विपक्ष होगा तो मुझे दोबारा आने से कौन रोक सकता है। आपने तो सुबह भी सदन का अढ़ाई घंटे का समय खराब कर दिया। आप सदन को 11.00 बजे छोड़कर भाग गए जबकि सदन डेढ़ बजे तक चलना था। आप लोग क्या बात करते हैं कितना अहम मुद्दा है जिस पर तुम चर्चा नहीं कर सकते हो और न ही तुममें सुनने की क्षमता है।

लोगों में जाकर के क्या कहेंगे? (शोर एवं व्यवधान) राजीव लॉंगोवाल समझौते के समय **** बाहर बैठकर हरियाणा प्रदेश की **** (शोर एवं व्यवधान) समझौता हो रहा था तब यह बात क्यों नहीं दोहराई? मेरे प्रदेश का फैसला हो और मेरी मर्जी के बिना कोई फैसला करे तो मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हरियाणा का मुख्यमंत्री हरियाणा के बारे में फैसले के समय **** बाहर बैठा रहा। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर साहब, जिस मुद्दे पर बात हो रही है सिर्फ उसी के बारे में जवाब आना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आपने जवाब सुनना है या वाक आऊट करना है। अगर सुनना है तो फिर आराम से बैठो और बैठकर जवाब सुनो। इस कहा सुनी में सदन को बेशकीमती समय खराब कर दिया। कल भी खराब कर दिया था। बड़ा शोर मचाते थे कि सदन का सेशन होगा और विपक्ष की भूमिका निभायेंगे। ये भूमिका निभा रहे हैं या सदन का समय खराब कर रहे हैं। लोगों की खून-पसीने की कमाई खराब हो रही है। कहां सुबह का सदन डेढ़ बजे तक चलना था और विपक्ष 11.00 बजे ही छोड़कर चला गया। इन्द्रजीत सिंह जी, आप इन लोगों में कहां फंस गये आपको तो कानून कायदों का ज्ञान होना चाहिये।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है आप हमें बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: इन्द्रजीत सिंह जी, आप तो अच्छे बाप के अच्छे बेटे हो इन लोगों के साथ कहां फंस गये।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

चौ. जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में बात हो रही है तो जवाब केवल एस.वाई.एल. कैनाल के बारे में ही आना चाहिये।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं विघ्न)

श्री धर्मबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: जो धर्मबीर सिंह जी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

राव इन्द्रजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। स्पीकर साहब, बड़े अहम विषय के बारे में चर्चा की जा रही थी। हमारी तरफ से दो प्रश्न पूछे गये थे जो हरियाणा के हित में थे और हरियाणा की जनता इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचार जानना चाहती है कि उनकी नीयत क्या है और वे अपने विचार तथा वास्तविकता सदन के अन्दर बतायें। वे इस विषय से ध्यान हटाकर दूसरी जगह आकर्षित करके हरियाणा की जनता के ऊपर ओर ओपोजीशन के ऊपर धूल

डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस सदन को बतायें कि क्या किसी को चपड़ासी या गधा कहने से ही प्वायंट ऑफ आर्डर दिया जा सकता है वे इस प्रकार से इस इश्यू पर डक डालने की कोशिश कर रहे हैं। Question it that why are you ducking the issue and calling name हरियाणा के हित इससे सफर कर रहे हैं। आज इन्होंने कैसी कैसी बातें की हैं। आज ये मैजोरिटी में हैं लीडर ऑफ दि हाउस हैं। हम भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हैं। हम ये तो नहीं करते कि ये मुख्यमंत्री नहीं हैं परन्तु मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जिस प्रकार ये इश्यू को डक कर रहे हैं केसे ऊंचा बोलकर डक कर रहे हैं क्या ये हरियाणा की जनता के साथ विश्वासघात नहीं है?

श्री अध्यक्ष: इन्द्रजीत सिंह जी, आप बैठिये।

अफगानिस्तान के शिष्टमंडल का अभिनन्दन

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि कर्नल अब्बदुल अजीम और उनके 23 साथी जो अफगान पुलिस के आफिसर्ज हैं, हमारे सामने गैलरी में बैठे हुये हैं। हम इन सबका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं।

**मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी
(पुनरारम्भ)**

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, राजीव लॉंगोवाल समझौते के बारे में मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन चौ. देवीलाल हरियाणा प्रदेश के हितों के रक्षार्थ हिसार से पैदल चलकर के दिल्ली तक पहुंचे थे और लाखों हरियाणवी उनके साथ थे, उन्होंने श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की तरह कार में यात्रा नहीं की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं जब लोकसभा में था तो 3 बार रोहतक से दिल्ली गया था और लोगों ने ही मुझे भेजा था। लेकिन मैं ऐसी बातें यहां कहना नहीं चाहता। (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: ****

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, जो कह रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके विधायक भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के काबू में नहीं है। ये विधायक सीमा में रहें अन्यथा यह सदन इनको सीमा में रखना जानता है, सीमाएं लांघने की कोशिश कोई न करे और सभ्य तरीके से बात करें। इनका इलाज भी हम जानते हैं, हमने इलाज किए हैं और इलाज करना जानते हैं, हमने सबक सिखाए हैं और सबक सिखाना जानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) सदन का बहुमूल्य समय खराब करने की कोशिश न की जाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, हमें इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता अपने साथियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो स्पीकर की जिम्मेवारी है कि इन पर कंट्रोल करें। (शोर एवं व्यवधान) सदन का बहुमूल्य समय खराब न किया जाए।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनको मैजोरिटी का इतना ***** हो गया है, ये मर्यादा से बाहर की बात करते हैं ये कहते हैं कि हम इलाज करना जानते हैं ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई ***** गया हो। इसलिए इनकी पहले डाक्टरी कराइए और फिर इनको कुर्सी पर बिठाएं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इनको बात करने की तहजीब नहीं है। हरियाणा प्रदेश की जनता सुन रही है, अखबार वाले लिख रहे हैं, ये क्या कहेंगे। मैजोरिटी के बलबूते पर ये ऐसी बातें कह सकते हैं लेकिन इनको आने वाला वक्त बताएगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: भजन लाल जी, गाय के घी की मन में ले जाइयो, "न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी"। अब वह वक्त आने वाला नहीं है।

चौ. भजन लाल: ठीक है, आप भी इस्तीफा दे दें और मैं भी इस्तीफा दे देता हूं जहां से आप कहेंगे, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा।

15.00 बजे

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौ. देवी लाल ने लाखों की मौजूदगी में दिल्ली में जाकर एक बड़ी सभा में खुलकर यह बात कही थी कि हमारा न पंजाब के लोगों से द्वेष है और न हमारी अकाली दल से कोई लड़ाई है। राजीव लॉंगोवाल समझौते की 10 क्लोजिज में से 8 क्लोजिज पर हमारा कोई विरोध नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा था कि हमारा क्लोज 7 और 9 पर विरोध है जो हरियाणा के हितों से जुड़ी हुई हैं और भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, 1976 में जब पानी का बंटवारा हुआ था उस वक्त सारा पानी 15.83 एम.ए.एफ. था और उसमें 8 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान का था और बाकी पानी हरियाणा और पंजाब का था। फैसला जब हुआ था तब साढ़े 3 एम.ए.एफ. पानी हरियाणा को मिला था और साढ़े 3 एम.ए.एफ. पानी पंजाब को मिला था और यह फैसला 1976 में हुआ था। उसके बाद उस पानी को लेने के लिए चौ. देवी लाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की उस वक्त की सरकार को पंजाब में नहर बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने के लिए पैसे दिए थे और काम भी शुरू हो गया था। चौ. बंसी लाल जी ने स्वयं अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए इस बात को खुलकर कहा था कि मैं चौ. देवी लाल का समर्थक नहीं हूँ, विरोधी हूँ, आज भी हूँ और पहले भी था। (शोर एवं व्यवधान)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

चौ. बंसी लाल एम.एल.ए. द्वारा

Ch. Bansi Lal: Speaker Sir, on a point of personal explanation. स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी जब जवाब देने लगे था तब इन्होंने कहा था कि मैं पुरानी हिस्टरी में नहीं जाता, पुरानी बातों में नहीं जाता। इनको चाहिए था कि राव इन्द्रजीत सिंह ने जो बात कही उस पर अमल करके ये जवाब देते कि ये क्या करने जा रहे हैं। पुरानी हिस्टरी में अगर ये जायेंगे तो 1976 में जिस दिन पानी का बंटवारा हुआ था चौ. देवी लाल कहीं पिक्चर में ही नहीं थे। Ch. Devi Lal was no where in the the picture. आगे भी जब कभी फैसला हुआ Ch. Devi Lal was no where in the the picture.

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, वे तो उस समय आपने एमरजेंसी के अंदर जेल में डाल रखे थे।

वक्तव्य –

**मुख्य संसदीय सचिव द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी
(पुनरारम्भ)**

चौ. बंसी लाल: अब तो इतनी ही बात की जा रही है कि इनको यह चाहिए कि आगे कि बतायें इन्होंने क्या किया। चौ. भजन लाल ने कहा इनकी सरकार ने रिट दायर की थी, इनकी सरकार ने जो रिट दायर की थी वह खारिज होने लगी थी हमने वापिस ली फिर मेरीसरकार ने रिट दायर की। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैटिए, बैटिए।

चौ. बंसी लाल: उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे और जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे श्री ओम प्रकाश चौटाला ने एक दिन भी जुबान नहीं खोली और मैं पब्लिक मीटिंग में यह कहता था कि जिस दिन प्रकाश सिंह बादल की छुट्टी हो जायेगी जो कि निश्चित है उस दिन ओम प्रकाश चौटाला उसका शोर मचायेंगे। (शोर एवं व्यवधान) जब पिछले दिनों इन्होंने जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी उसमें हरियाणा प्रदेश के सभी एम. एल.एज., एम.पीज. थे मैं भी उसमें हाजिर था। इन्होंने सुझाव दिया कि पंजाब के गवर्नर को मैमोरैन्डम दें, मैंने सभी एम.एल.एज. के सामने यह कहा था कि गवर्नर को मैमोरैन्डम देने का कोई मतलब नहीं। गवर्नर इधर से हम से लेगा पंजाब के चीफ मिनिस्टर को दे देगा। पंजाब के चीफ मिनिस्टर की भाशा हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। अगर मैमोरैन्डम देते हो तो प्रधान मंत्री को दो, कोई फायदा नहीं पंजाब के गवर्नर को देने का। मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं हमने वकीलों से सलाह कर ली उसकी कान्स्टीच्यूशनल ड्यूटी है, हम गये पंजाब के गवर्नर के पास, जाते ही एक मिनट में कह दिया कि मेरा इतना ही अख्तियार है कि मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर को दे दूंगा। ये आगे क्या करने वाले हैं वो बात दें, एक और एक दो की बात करें।

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी, प्लीज आप बैठिये ।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं चौ. बंसी लाल जी की इस बात से 100 फीसदी सहमत हूँ कि जिस दिन पानी का बंटवारा हुआ उन दिन चौ. देवी लाल जी पिक्चर में नहीं थे ओर अगर चौ. देवी लाल जी समझौते में होते तो हमारे हिस्से का एस.वाई.एल. कैनल का पानी 16 साल तक पाकिस्तान को नहीं जाता। हमारी स्टेट का 500 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त समझौता करने वाले ये लोग थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, प्लीज आप बैठें। अब तो आपको पिंच होने वाली कोई बात नहीं कही गई।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी का विधान सभा में मुख्यमंत्री के तौर पर दिया हुआ ब्यान जो असैम्बली की कार्यवाही में दर्ज है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ जरा सभी सुन लें। चौ. बंसी लाल ने 19 दिसम्बर, 1991 को हरियाणा विधान सभा में लाये गये अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था “स्पीकर साहब, यह बात हमको माननी पड़ेगी कि ज्यादा काम 1987 के बाद की सरकार ने किया, ऐसा नहीं है कि मेरी चौ. देवी लाल या उनकी पार्टी वालों से कोई मोहब्बत है, असलियत को कौन भुला सकता है यह रिकार्ड की बात है कि 40 लाख क्यूबिक मीटर काम हमारे जाने के बाद 31.3.1998 तक हो गया। मैं इस

बात से इनकार नहीं करता कि ड्रेनेज औ पुलों के ज्यादा काम 1987 के बाद ही कम्पलीट हुए हैं। जबकि पुलों और ड्रेनेज का काम मेरे और चौ. भजन लाल के समय में कम्पलीट नहीं हुए थे। हो सकता है एक या दो पुल चौ. भजन लाल के समय में शुरू हुए होंगे। अध्यक्ष महोदय, जो काम हो गया है उनसे इनकार नहीं करना चाहिए।” स्पीकर सर, यह ब्यान चौ. बंसी लाल जी का है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. बंसी लाल: यह बात हाउस में पहले भी पढ़ी जा चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, आप यह बतायें कि यह बात सही है या नहीं।

चौ. बंसी लाल: यह मैंने कहा, यह कन्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया की रिपोर्ट में था फिर मुझे इसका शक हुआ, मुझे लोगों ने बताया कि यह बात ठीक नहीं है। मैंने फिर विद्याचरण शुक्ला जो सिंचाई मंत्री भारत सरकार थे, उनको चिट्ठी लिखी और चौ. देवी लाल के वक्त का नैगलीजेबल काम मिला मैं क्या करूं। (शोर एवं व्यवधान) मैं वो चिट्ठी भी पढ़कर सुना देता हूं। (शोर एवं व्यवधान) अब झगड़ा यह है कि ने आप सुनने की कोशिश करते हैं, न ये करते हैं, सही बात यही है।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, मैंने भी आपकी यह स्टेटमेंट सुनी थी, उस समय मैं विपक्ष में बैठा करता था। (शोर

एवं व्यवधान) ये फैकटस हैं, इनसे डिनाई नहीं किया जा सकता।
(शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: यह बात चौ. बंसी लाल जी ने जब कही थी तब मैं सदन का सदस्य था। (विघ्न)

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, आपने कहा कि जब मैंने यह बात कही तो आप भी इस सदन के सदस्य थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैंने यह बात कही तो उस वक्त मैंने विद्याचरण शुक्ल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी। यदि आप चाहेंगे तो वह चिट्ठी मैं फिर लाकर पढ़ दूंगा।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: चौ. बंसी लाल जी, पानी के बंटवारे का हिसाब से 3.5 एम.ए.एफ. पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना था और 3.5 एम.ए.एफ. पानी पंजाब प्रदेश को मिलना था। उसके बाद आपकी सरकार के फैसले के दुर्भाग्यवश पंजाब को मिला 4.22 एम.ए.एफ. और हरियाणा को मिला 3.5 एम.ए.एफ.। आपके शासनकाल में पानी निरंतर घटता चला गया। (विघ्न) यह तो रिकार्ड की बात है।

Ch. Bansi Lal: SYL practically is my baby. I have been connected with this issue throughout. लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब 1976 में इस पानी का बंटवारा हुआ तो उस वक्त पंजाब ने यह कहा कि हमारे पास 15.85 एम.ए.एफ. पानी है तो

उस वक्त मैंने सेन्टर की कैबिनेट में यह कहा कि पानी पंजाब के पास 19 एम.ए.एफ. है। इन्दिरा जी ने यह कहा कि मैं 15.85 एम.ए.एफ. पानी का फैसला कर देती हूँ और फालतू पानी हो तो आप ले लेना। फिर मैंने इन्दिरा जी से कहा कि बहन जी आप यह लिखवा दो, कैबिनेट की प्रोसिडिंग्स में। इन्दिरा जी ने कैबिनेट की प्रोसिडिंग्स में लिखवाया।

“Haryana will get 3.5 M.A.F. out of 15.85 M.A.F. whereas Punjab will get from the remaining water not exceeding 3.5 M.A.F.”

इन्दिरा जी ने कहा कि पंजाब के ऊपर मैंने सीलिंग लगा दी है और आपके ऊपर कोई सीलिंग नहीं है इसलिए ज्यादा पानी हो तो आप ले लेना। आप कलियरकट लैग्वेज पढ़ें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: फिर पानी कहाँ गया?

चौ. बंसी लाल: बाद में न इन्दिरा जी रहीं और न मैं वहाँ पर रहा। बाद में हरी पगड़ी वाले आ गए। (विघ्न) कम्बल सिर पर धर कर, मैं क्या करता।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, 1976 की बात चौ. बंसी लाल जी ने कही और इन्दिरा जी की बात को दोहराया कि अगर पानी बढ़ेगा तो वह हरियाणा को मिलेगा न कि पंजाब को, जैसा कि चौ. बंसीलाल जी ने कहा है। लेकिन 1981 में जब एग्रीमेंट हुआ तो फिर हरियाणा का पानी बढ़ा क्यों नहीं।

हरियाणा का पानी 3.5 एम.ए.एफ. ही क्यों रहा और बढ़ा हुआ पानी पंजाब को मिल गया और पंजाब का पानी 4.22 एम.ए.एफ. हो गया, तो फिर वह पानी कहां रहा। हम भी यह कह रहे हैं और आपकी बात की ताईद करते हैं कि बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था, वह हरियाणा को मिला नहीं बल्कि हरियाणा के साथ अन्याय हुआ यानि 1981 में फिर हरियाणा के साथ अन्याय हुआ। 1981 में हरियाणा का 3.5 एम.ए.एफ. पानी ही रह गया और पंजाब का 3.5 एम.ए.एफ. से बढ़कर 4.22 एम.ए.एफ. हो गया। इसका मतलब दोशी कौन है? 1981 में कौन मुख्यमंत्री था? कौन देश का प्रधान मंत्री था? तो इसका मतलब यह है कि आप दोशी थे, ठीक है।

चौ. भजन लाल: 1981 में मैं मुख्यमंत्री था।

श्री अध्यक्ष: चौ. भजन लाल जी, आप बैठिये। (विधन) उस वक्त आप ही मुख्यमंत्री थे यह सबको पता है। मैं कहने लग रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री थे तो फिर इसमें आप क्या कहेंगे?

चौ. भजन लाल: बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को मिलता था। (विधन)

प्रो. सम्पत सिंह: बढ़ा हुआ पानी हरियाणा को मिलता था, वह नहीं मिला, मिला पंजाब को तो हरियाणा के साथ तो अन्याय ही हुआ है। खुद चौ. बंसी लाल जी ने दोहराया है कि 1976 में जो फैसला हुआ था उसमें यह हुआ था कि 15.85 एम.ए.

एफ. की बजाय पानी ज्यादा है और जो ज्यादा पानी है वह इन्दिरा जी के फैसले के हिसाब से हरियाणा को मिलेगा लेकिन बढ़ा हुआ पानी 1981 में मिला पंजाब को, इसका जवाबदेह कौन है।

चौ. भजन लाल: इसके जवाबदेह हम हैं। (विधन)

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर सर, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब-जब कांग्रेस की सरकारों में समझौता हुआ है हरियाणा का नुकसान हुआ है। यही कारण है कि चौ. देवी लाल जी 1989 में इस केस को कोर्ट में ले गए थे क्योंकि मामले का राजनीतिकरण हो गया था और इन लोगों के बस में यह बात नहीं थी। (विधन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा ये कह रहे हैं वह केस भी सुप्रीम कोर्ट में था। (विधन)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिये। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। जिसको बेरा ही न हो वह क्या कहेगा। चौ. बंसी लाल जी और चौ. भजन लाल जी को तो ज्ञान है लेकिन इनको यह भी ज्ञान नहीं है कि राजीव-लौंगोवाल समझौता क्या था। (विधन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठिये (विधन) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, केवल पानी की ही बात नहीं है। 1986 में जब चौ. बंसी लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब चण्डीगढ़ के बदले में 70 हजार एकड़ भूमि पिटारेवाली लेने पर भी एग्री करके आए थे। बंसी लाल जी, आप तो उसको भी बेच गए थे। यह रिकार्ड की चीज है और विधान सभा की प्रोसीडिंगज में भी है अब आप मुनकिर हो रहे हो। आपने 70 हजार एकड़ इस पिटारेवाली जमीन के ऊपर एग्री कर लिया था तथा आपने इस बात को सदन में माना था। दुनियां इस बात की गवाह है आप इसको सैंक्शन करके आए थे।

चौ. बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, ****

श्री अध्यक्ष: बंसी लाल जी, आप बैठें। (विधन) इनकी कोई बात रिकार्ड न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अब ये मुनकिर हो रहे हैं। एक ने पानी बर्बाद कर दिया और एक ने चण्डीगढ़ 70 हजार एकड़ में देने का काम कर दिया। दोनों ने हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। (विधन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिये। (विधन)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बेंटे। (विधन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हुड्डा साहब, आपका तो कोई जिक्र ही नहीं, आपका तो एक ही काम है आप भागेंगे। (विधन) आपको तो यही काम आता है।

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का

जो काटा तो एक कतरा खून निकला।

अध्यक्ष महोदय, ये बहुत कहते थे कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम यह कर देंगे वह कर देंगे, अब क्या पहाड़ फोड़ दिया। सवेरे बस्ता उठा कर चल दिए थे, कल भी चल दिए थे और आज फिर भागेंगे। (विधन) अध्यक्ष महोदय, इनमें सुनने की तो हिम्मत नहीं है आज फिर भागेंगे। बात कुछ जानते नहीं हो, कहने की क्षमता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा था कि एस.वाई.एल. नहर किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है या हरियाणा प्रदेश की जीवन-रेखा है। हम सबको ईमानदारी से मिलकर जिस प्रकार सभी विपक्षी दलों ने मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लिया था हमें उस पर कामय रहना चाहिए। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, चौ. बंसीलाल जी, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि एक प्रक्रिया है, एक कानून है। सुप्रीमकोर्ट के फैसले के दुश्चिह्नित एक साल के अन्दर-अन्दर पंजाब को इस नहर को बनाना है। यदि पंजाब की सरकार इस नहर को नहीं बनाएगी तो फिर केन्द्र की सरकार की कोई एक

ऐजेंसी बनाएगी। चौ. देवी लाल के वक्त के अन्दर कुछ इन्जीनियरज को मार दिया गया था और जब चौ. देवी लाल जी उप-प्रधान मंत्री थे तब हमारी नहर का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाईजेशन के सुपुर्द कर दिया गया था लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस सरकार ने उस बोर्डर रोड ऑर्गेनाईजेशन का फैसला वापिस ले लिया था। इनके सामने हरियाणा प्रदेश के हित सुरक्षित नहीं हैं इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनकी पैरवी करनी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय का हम आज भी आभार व्यक्त करते हैं कि उसने हमारे पक्ष में फैसला किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि एस.वाई.एल. नहर मुकम्मल तौर पर बनेगी और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। 15 जनवरी, 2003 तक पंजाब की कांग्रेस सरकार को यह नहर बनवानी पड़ेगी और अगर वह नहीं बनाएगी तो केन्द्र सरकार अपनी सिकी ऐजेंसी से इस नहर को बनाएगी। इस नहर के बनने से पहले हम सारी डिस्ट्रीब्यूट्रीज और खालों की व्यवस्था मुकम्मल करेंगे ताकि हमारी धरती की प्यास मिट से और हमारी एक-एक इंच भूमि सैराब हो सके। हमारा हरियाणा प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब एस.वाई.एल. नहर का पानी हमें मिलेगा। मैं एक बार फिर मुतबाना तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा के हित को ध्यान में रखकर सब लोगों को मिलकर इसके लिये प्रयास करने चाहिए। हुड्डा साहब फिर कहेंगे कि हमारी बात को दोहरा रहे हैं। मैं हुड्डा साहब से कहूंगा कि अगर

आप में लेशमात्र भी मादा है तो जाइये पंजाब की कांग्रेस सरकार को कहिए कि इस नहर को जल्दी बनवाए, जाइये अपनी सोनिया गांधी से जाकर कहिए कि इस नहर को जल्दी बनवाने का काम करें। यह किसी के बाप की बपौती नहीं है हरियाणा प्रदेश के दो करोड़ दस लाख लोगों की यह बपौती है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा, अखबार की बातें करने से अखबार में ब्यान देने से बात नहीं बन पाएगी। अखबारी ब्यानों से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अखबारी ब्यान देकर उसकी कटिंग सोनिया गांधी जी को दिखा कर दाव लगता हो तो लगा लें लेकिन यहां पर तो दाव लगने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस खास मुद्दे पर फिर पूरे सदन को कहना चाहूंगा कि सब को मिलकर इस मामले में हरियाणा के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। इसमें आपसी मनमुटाव और भेदभाव की बात नहीं है। अगर आपमें किसी मामले में मतभेद हैं तो और भी बहुत सारे अवसर आते हैं उस पर आप डट कर लड़िये और बस्ते उठाकर बाहर जाने की कोशिश मत करिये।

बिल्ज

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 3) बिल, 2002

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सरकार का जवाब नहीं आया है। इतना

सीरियस मामल है हरियाणा के हितों का मामला है। इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, यह कोई सरकार का जवाब है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय डा. रघुबीर सिंह कादियान सदन की वेल में आकर बोलने लग गए।)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मुद्दा है और इस पर सरकार का जवाब आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाकर बैठें। धर्मवीर सिंह जी, आप अपनी सीट पर जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। हमने 14 तारीख को कहा है और हाउस में भी कहा है।

Mr. Speaker: Kadyan Sahab, I warn you. यह मामला खत्म हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा जी, आप अपनी सीट पर बैठें इनको भी इनकी सीट पर बिठाएं।

डा. रघुबीर सिंह कादियान: सर, यह कांस्टीच्युशनल ओब्लिगेशन है।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी सीट पर जाएं। (विघ्न) नहीं नहीं, आप अपनी सीट पर जाएं।

Prof. Sampat Singh: Speaker Sir, either set him right or he should not behave like this.

श्री अध्यक्ष: अब तो बिजनैस दूसरा चल चुका है और वह मामला खत्म हो चुका है।

Prof. Sampat Singh: This is direct insult to the Chair. We will not tolerate it. (Interruptions)

डा. रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर सर, सरकार का जवाब आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आपको वार्निंग दी जा चुकी है। अब आप अपनी सीट पर जाएं, नहीं तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) आप सभी उस विषय पर सप्लीमेंटरी पूछ चुके हैं और सरकार का जवाब आ चुका है। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाएं। आप अपने लीडर की बात तो मानें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 4) बिल, 2002

Mr. Speaker: Now the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 2002.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker: Question is –

That Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकिण्ड अमैडमैट) बिल, 2002

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Municipal (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is -

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमेंट) बिल, 2002

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2002 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is -

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will move that the Bill be passed.

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल): आदरणीय
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved -

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is -

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि हरियाणा मुर्रा बुफैलो एंड अदर मिल्च एनीमल ब्रीड
(प्रिजर्वेशन एंड डिवल्पमेंट औफ एनीमल हसबैंडरी एंड डेयरी
डिवल्पमेंट सैक्टर) अमेंडमेंट बिल, 2002

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Animal Husbandry will introduce the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ. मोहम्मद इलियास): उपाध्यक्ष
महोदय, मैं हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल
(पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन)
संशोधन विधेयक प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ -

हरियाणा मुरा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशुपालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, पशु पालन मंत्री जी ने जो यह बिल सदन में रखा है मैं आपके माध्यम से इनसे और सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का नौजवान बेरोजगार बैठा है, सरकारी नौकरी मिलती नहीं है और कारखाने सरकार के दबाव से और विश्व में जो मंदी का दौर चल रहा है उसकी वजह से बंद हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कर्ण सिंह जी, आप केवल बिल पर बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही आ रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि गांव में जो नौजवान बच्चे हैं वे डेरी और भैंसों को पालने के माध्यम से अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। आप गुड़गांव में रहते हैं ओर हम जिला फरीदाबाद के रहने वाले हैं। गांवों में नौजवान पशु पालते हैं और दूध निकालकर बेचते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञान होगा कि दिल्ली के नजदीक लोगों ने मिल्क प्लांट लगाये हुए हैं। सरकार

ने दूध पर जो दस पैसे प्रति लीटर सैस लगाया है उसकी वजह से हरियाणा के लोगों के अन्दर भय है। कुछ माननीय सदस्य मुझे बता रहे थे कि इस बारे में हाई कोर्ट में रिट पेटिशन डाली जा रही है। हमारे पलवल के इलाके में तीन-चार मिल्क प्लांट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो मिल्क प्लांट दिल्ली के आसपाल लगे हुये हैं वे डैनमार्क से बटर आयल इम्पोर्ट करते हैं क्योंकि डैनमार्क का बटर आयल हरियाणा के घी से सस्ता है। जो हरियाणा के अन्दर मिल्क प्लांट लगाये हैं उन्होंने हरियाणा के बैंकों से ऋण लिया है और हरियाणा सरकार से इजाजत लेते हैं और डैनमार्क के बटर आयर को इम्पोर्ट करके उससे घी बनाकर बेच रहे हैं। (शोर) उन्होंने गांवों से दूध लेना बंद कर दिया है जिससे जो नौजवान गांवों में दूध बेचकर अपना रोजगार चलाते थे वे बेरोजगार हो रहे हैं मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि दूध पर जो यह दस पैसे प्रति लीटर के हिसाब से सैस लगाया है इसको वापस लिया जाये क्योंकि इससे नौजवानों को नुकसान हो रहा है।

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, दलाल साहब कह रहे थे कि इनकी तरफ देख कर मैं इनका समर्थन कर रहा हूँ। मुझे तो अफसोस है कि ये क्या बात कर रहे हैं। ये पशुओं और किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं। ये बतायें कि ये इण्डस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं या इण्डस्ट्री वालों की इन्हें चिन्ता है या पशुओं की चिन्ता है या किसानों की चिन्ता है। इनको पता होना चाहिये कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने इम्पोर्ट

ड्यूटी को इतना बढ़ा दिया है कि बाहर से बटर आयल इम्पोर्ट करना मुश्किल हो गया है। भारत सरकार को सबसे पहले माननीय चौ. ओम प्रकाश चौटाला जी ने सुझाव दिया था कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाओं नहीं तो हरियाणा के मिल्क प्लांट फेल हो जायेंगे और नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। आज हरियाणा में दूध की मात्रा बढ़ी है हालांकि जून, जुलाई और मई के महीने में दूध घटता है लेकिन इस समय में दूध बढ़ा है ओर लोगों के रोजगार का साधन बना है। दलाल साहब ये सरकार के प्रयास की वजह से हुआ है बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री कृष्णपाल गुर्जर (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर बोलते हुये माननीय मंत्री श्री सम्पत सिंह जी ने पशुओं की चिन्ता की बात की। डेढ़ साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में खासतौर से मेवात में जो गायकशी भारी पैमाने पर हुई थी उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बिल लाने की बात कही थी, तो मैं माननीय पशुपालन राज्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस बारे में वे बिल कब लाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कृष्णपाल जी, आप इशू को डायवर्ट करने की कोशिश न करें।

श्री शादी लाल बत्तराम (रोहतक): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज की बात न करें, किसानों की बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि इस बिल के नीचे रूल बने हैं।

रूल 15 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो किसान पशु पालन करते हैं यानि गाय या भैंसों का दूध बेचते हैं उनके ऊपर 5-6 रूपये का टैक्स लगा दिया तो इससे कहां जमींदारों को फायदा होगा।

प्रो. सम्पत सिंह: जमींदार इसमें नहीं आएंगे।

श्री शादी लाल बत्तरा: उपाध्यक्ष महोदय, दूध लेने वालों को तो दूध महंगा पड़ेगा। 5-6 रूपये बहुत ज्यादा है इसलिए यह टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब आप बैठे। आपको सफीशिएंट टाइम दिया गया है और आपने अपनी बात रखी और आपकी बात का जवाब दे दिया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सैकेंड का समय दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: दलाल साहब, आप बैठें।

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ. मुम्मद इलियास): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे सम्पत सिंह जी ने हाउस को बताया कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है ठीक उसी तरह हरियाणा प्रदेश भी कृषि प्रधान प्रदेश है। आप भी किसान के घर से सम्बन्ध रखते हैं।

जहां तक इस एक्ट का ताल्लुक है, तो इस एक्ट को बनाने का मकसद मुर्दा नस्ल की जो भैंस हैं जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर जानी जाती है। कर्ण सिंह दलाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुर्दा नस्ल की भैंस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में सराहना की पात्र है। आप सबको मुख्यमंत्री चौटाला साहब को, हरियाणा सरकार को बधाई देनी चाहिए कि अभी अभी हमारे यहां मिल्क कंपीटिशन हुआ है उसमें हरियाणा प्रदेश मुर्दा नस्ल की भैंस दूध के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर आई है। इन भैंसों के विकास के लिए उनकी बढ़ोतरी के लिए ही यह एक्ट लाया गया है, इसी प्रकार से साहिवाल नस्ल की गाय को इस एक्ट से बढ़ावा मिलेगा, उसका भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। मुर्दा नस्ल की भैंसों की बढ़ोतरी के लिए ही खास तौर से यह बिल लाया गया है। जहां तक दूध पर सैस की बात है, यह दूसरे प्रदेशों में भी लगा हुआ है। जब यह सैस प्रदेश के अन्दर लगेगा तो इससे जो 10-12 करोड़ रूपये की आमदनी सालाना होगी वह पशुपालन विकास के लिए, पशुधन विकास के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जहां तक रोजगार की बात है, मैं समझता हूं कि इससे किसान को रोजगार मिलेगा। हरियाणा के 70 फीसदी छोटे किसानों के पास अगर खेती के अलावा कोई रोजगार है तो वह पशु पालन है और किसान पशु धन से ही पेट पालता है। कर्ण सिंह दलाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने जो बात कही है मैं उससे सहमत नहीं हूं क्योंकि हरियाणा

प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसी के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

पशुपालन राज्य मंत्री (चौ. मोहम्मद इलियास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि –

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House stands
adjourned till 9.30 A.M. tomorrow the 4th September, 2002.

***15.45 hrs.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on
Wednesday, the 4th September, 2002.)